भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2492

गुरूवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत निधि

2492. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री जी.सी.चन्द्रशेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आवंटित और संवितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत लक्षित जिलों और लाभार्थियों की संख्या संहित वास्तविक लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत किसी लाभार्थी को उपलब्ध कराई गई दैनिक आय कितनी है; और

(घ) क्या मौजूदा योजना देश भर में लगभग 1,14,30,968 प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरप ग्रामीण क्षेत्र में लौटने वाले प्रवासी कामगारों और ऐसे ही प्रभावित कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए, 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवरण के साथ दिनांक 20 जून, 2020 से 125 दिन के अवधि के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का शुभारम्भ किया। इस अभियान का उद्देश्य विपत्तिग्रस्त लोगों को तत्काल रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना, गांवों को सार्वजनिक अवसंरचना से परिपूर्ण करना तथा 6 राज्यों नामत: बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करके आय सृजक गतिविधियों को बढ़ावा देने और आजीविका के दीर्घावधि अवसरों को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक परिसम्प्त्तियां सृजित करना है। भारत सरकार के कुल 12 मंत्रालयों/विभागों ने इस अभियान में भागीदारी की। इस अभियान के दौरान कुल 50.78 करोड़ श्रम-दिवस के

जारी/2---

रोजगार का सृजन किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
1	बिहार	10,992
2	झारखण्ड	1,396
3	मध्य प्रदेश	6,819
4	ओड़िशा	2,042
5	राजस्थान	8,715
6	उत्तर प्रदेश	9,330
	कुल	**39,293**

कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने कामगारों के लाभ के लिए कई अतिरिक्त उपाय किए हैं जैसे; लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी को दिनांक 01.04.2020 से 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन करना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत ईपीएफ खातों में 2583 करोड़ रुपये जमा करके 39.51 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत कम वेतन वाले 38.91 लाख कर्मचारियों को काम पर बनाए रखने के लिए 2567 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करना, भवन और अन्य सन्निर्माण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) को 7413 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के अंतर्गत बेरोजगारी लाभ, पीएम-एसवीए निधि योजना के अंतर्गत सभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मुफ्त खाद्यान्न तथा लौटने वाले प्रवासी कामगारों की अधिकता वाले जिलों में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

*****